App. A
Crim - 1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

महादेव जाट बनाम रामेश्वर जाट वगै०

मुकदमा 111, 128 L.R. Act नं. 72 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 L.R. Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 10/9/020 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण, दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक .... को पेश हो। 15/12/20 आज्ञा से रीडर	
15/12/20 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पिठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारें हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश दिनांक .... को पेश हो। 16/2/21 आज्ञा से रीडर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:47:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
प्रशासन गॉवां के संग अभियान मुकाम रायला तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री अंशुल सिंह (आर.ए.एस.)

स0 – 72/2020

उनवान

1. महादेव गोदपुत्र गोरधन जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. सुमित्रा पुत्री गोरधन जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. फुमाबाई पत्नि गोरधन जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. रामचन्द्र पिता गोगल जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. महादेव पिता गोगल जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. मिश्री पिता गोगल जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
7. महावीर पिता गोगल जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

———————— (प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामेश्वर पिता रामकरण जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. गोपाल पिता रामकरण जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
3. गीता पिता रामकरण जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
4. धन्नालाल पिता भैरू जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
5. भैरूलाल पिता नानू तेली नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
6. महादेव पिता गोर्धन जाट नि0 रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
7. यशोदानन्द जी ब्राहम्ण निवासी रायला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

——————————(अप्रार्थी)

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।</u>

: : निर्णय : :

दिनांक – 29.11.2021

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक [illegible] निवेदन किया कि ग्राम रायला तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि के आ0न0 665 [illegible]2 , 1362 , 1370 , 1371 , 1382 कुल किता 08 रकबा 09.18 बीघा [illegible] विपक्षी संख्या 01 से 03 पड़ौसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के [illegible] चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी [illegible]ने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:47:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)

2020 15/12/20

/ 2 /

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय प्रशासन गॉवो के संग केम्प मुकाम रायला मे दिनांक 11.2021 को पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही व प्रतिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के विरूद्ध उनकी ओर कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया । प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। वली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निंविवादित णित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक तेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी कार किया जाता हैं।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रायला तहसील नेड़ा की कृषि भूमि के आ0न0 665 , 662 , 1352 , 1362 , 1370 , 1371 , 1382 कुल ता 08 रकबा 09.18 बीघा भूमि की पत्थरगढी से पूर्व उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस चित करा (विधिवत तामील करा) बसामलात समस्त पड़ौसान के किये जाने का आदेश रित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना मे तहसीलदार बनेडा को मौका कमिश्नर युक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं । पत्थरगढी के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक को 00/–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकराना पूर्व मे सूचित कर उनकी उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा के पर अदा की जायेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। र्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गॉवो के संग केम्प रायला मे सरे जलास सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.13 15:47:46 IST
Reason: SelfAttested